

### भवन निर्माण अनुज्ञा-पत्र स्वीकृति/अस्वीकृत के लिये

प्रेषक- नियत अधिकारी  
विनियमित क्षेत्र, महोबा

सेवा में, शेड पीट एडमी. अ. चतारपुर डिस्ट्रिक्ट ६११६१  
सिकोरागंज

महोबा-30प्र0

महोदय,

कालौनी/मार्ग चतारपुर रोड मोहल्ला चतारपुर महोबा नगर  
के प्लॉट नं० ४ में सिजरा संख्या ३३३३ के भवन  
सं० ४ हैं में निर्माण / पुनः निर्माण ताबान बदलाव / परिवर्तन गिराने के लिये अनुज्ञा देने  
के लिये आपके आवेदन पत्र २२/१०/१८ दिनांक २२/१०/१८  
के सन्दर्भ में मुझे आपको सूचित करना है कि प्राधिकारी द्वारा लिखित आधारों पर स्वीकृत दे दी गयी है।

- 1- स्वीकृत मानचित्र की अवधि 5 वर्ष तक वैध है-तदोपरान्त नियमानुसार नवीनीकरण हेतु मानचित्र प्रस्तुत करें।
- 2- निर्माण कार्य शुरु करने के पूर्व निर्माण को सूचना निर्धारित प्रपत्र ज में दें।
- 3- स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण कार्य करें, अगर किसी तरह का बदलाव करना हो तो संशोधित मानचित्र पेश करें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यालय से कार्यपूर्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये।
- 4- कपट से प्राप्त अनुमति को कार्यालय किसी समय निरस्त कर सकता है।
- 5- स्वामित्व सिद्ध करने के लिये स्वीकृत नक्से का उपयोग किसी न्यायालय में वैध न समझा जाये।
- 6- भवन मानचित्र जिस प्रायोजन हेतु स्वीकृति कराया गया है, केवल उसी प्रयोग में लाया जाये।
- 7- स्वीकृति मानचित्र का एक सेट सदैव निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी जाँच अधिकारी द्वारा जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य मानचित्र के आधार पर अंकित स्फेसिफिकेशन अनुसार ही कराया जाये तथा भवन के स्थायित्व की जिम्मेदारी आपकी होगी।
- 8- सड़क सर्विस लेप अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री न रखी जाये।
- 9- 30प्र0 राज्य वन नीति 1998 के अनुसार सहन भूमि पर  $\gamma$  पेड़ लगाना अनिवार्य होगा।

10- मानचित्र से चतारपुर रोड सेक्टर विस्तृत कर दिया  
11- कर मा कनियारा

संलग्न- स्वीकृत मानचित्र संख्या एक प्रति

*Principal*  
Principal

St. Peter's Academy  
Chhatarpur Road-Mahoba  
U.P.-210427

8.10.21

नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी

कार्यालय मुहर  
कार्यालय सं० सूचना सं०  
दिनांक २२/१०/१८